सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बून्दी

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति

1. छात्रावास संचालनः— विभाग द्वारा जिले में 16 राजकीय छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं जिनमें अनुसूचित जाति के 7, अनुसूचित जन जाति के 4, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति के 2 तथा 3 छात्रावास स्वच्छकार जाति के लिए संचालित हैं। जिले में 1 अनुदानित छात्रावास अनुसूचित जनजाति के लिए आदिम जाति सेवा संघ द्वारा संचालित हैं।

प्रवेशित छात्र वर्ष 2009—2010

क. स.	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या	भवन की स्थिति
1.	राज. विमुक्त जाति छात्रावास,बून्दी(डी.टी.)	60	60	राजकीय भवन में
2.	राज. कन्या छात्रावास,बून्दी (एस. सी.)	40	40	राजकीय भवन में
3.	राज. के.पाटन(एस. सी.)	80	55	राजकीय भवन में
4.	राज. छात्रावास, इन्द्रगढ(एस. सी.)	40	40	राजकीय भवन में
5.	राज. छात्रावास, लाखेरी (एस. टी.)	40	40	राजकीय भवन में
6.	राज. स्वच्छकार छात्रावास,बून्दी(एस.सी.एच.)	25	25	राजकीय भवन में
7.	राज. छात्रावास, कापरेन(एस. सी.एच.)	40	40	राजकीय भवन में
8.	राज. छात्रावास, गरडदा (एस. सी.)	25	25	किराया भवन
9.	राज. छात्रावास, करवर (एस. सी.)	35	35	राजकीय भवन में
10.	राज. छात्रावास, लक्ष्मीपुरा(एस. सी.)	40	40	राजकीय भवन में
11.	राज. छात्रावास नमाना, (एस. टी.)	50	50	राजकीय भवन में
12.	राज. छात्रावास, डाबी (एस. टी.)	40	40	किराया भवन
13.	राज. छात्रावास, समीधी(एस. टी.)	25	25	किराया भवन
14.	डी.टी. छात्रावास, हिण्डोली	60	55	किराया भवन
15.	एस.सी.एच. छात्रावास, देई	40	40	राजकीय भवन में
16.	राज. छात्रावास, लबान (एस.	25	25	राजकीय भवन में

	सी.)			
17.	राज. अनुदानित छात्रावास, बून्दी	25	25	संस्था

छात्रावासो में रहने वाले छात्रो को प्रतिमाह भोजन, नाश्ता, ईधन, तेल–साबुन, बालकटिंग, बिस्तर धुलाई, बिजली पानी, समाचार पत्र पत्रिकाओ आदि के लिए रु.875/– प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से एक शैक्षणिक सत्र में 9.5 महिने के लिए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यूनिफोर्म, जूते, मोजे, तौलिया, एवं जर्सी आदि के लिए रु.1187.50/– कक्षा 6 से 8 तक छात्रो को स्टेशनरी व्यय हेतु 40 रु. तथा कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओ के लिए 60 रु. प्रति वर्ष एक मुश्त दिए जाते हैं। शहरी क्षैत्र के छात्रावासो के लिए 25.21 लाख का बजट प्राप्त हुआ हैं। जिसमें से 23.31 का व्यय किया जाकर 660 छात्र/छात्राओ को लाभान्वित किया जा रहा हैं।

2. विकलांग छात्रवृतिः– राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों/ महाविद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग छात्र/छात्राओं को एक सत्र में 10 माह की विकलांग छात्रवृति दी जाती हैं। इस योजनान्तर्गत अब तक 1 लाख का बजट प्राप्त हुआ हैं। आवेदन पत्रों की जॉच की जा रही हैं।

3. विकलांग सहायताः– इस योजनान्तर्गत विकलांग व्यक्तियों का शारीरिक रूप से सक्षम बनाने की दृष्टि से विभाग द्वारा निःशुल्क अंग/उपकरण जैसे ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र, कृत्रिम पैर/कैलीपर व टेपरिकार्डर आदि उपलब्ध करवाने हेतु 5000 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। माह दिसंबर 2009 तक 11 व्यक्तियो को लाभान्वित कर 0.49 लाख का व्यय किया जा चुका हैं। 38 विकलांग व्यक्तियो को लाभान्वित किए जाने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई हैं।

4. विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदानः– आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार जिनमें कोई कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नही है, की विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 10000 रु. का अनुदान दिए जाने का प्रावधान हैं। अब तक इस योजनाओं में 23 विधवाओ की पुत्रियों को लाभान्वित कर 2.30 लाख का व्यय किया जा चुका हैं।

5. विकलांग युवक/युवतियों के विवाह हेतु सहायताः– योजनान्तर्गत विकलांग युवक/युवतियों के विवाह करने पर 25000 रु. का अनुदान विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता हैं। अब तक 4 युवक/युवतियों को लाभान्वित कर दिया गया हैं।

6. अत्याचार से पिडित अनु. जाति/जनजाति के व्यक्तियों को सहायताः– अनु.जाति/जनजाति पीडित व्यक्तियों को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती हैं। अब तक एस.सी. अत्याचार पिडितो को सहायता योजनान्तर्गत 22 व्यक्तियो को लाभान्वित कर 2.31 लाख व्यय किया जा चुका हैं। एस.टी. योजनान्तर्गत 4 को लाभान्वित कर 0.41 लाख व्यय किया जा चुका हैं।

7. विश्वास योजनाः– राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियो को स्वंय का रोजगार प्रारम्भ करने के लिए ऋण सीमा 100000 रु. तक का ऋण सहकारी/राष्ट्रीय कृत बैंको के माध्यम से विकलांग व्यक्तियो को ऋण स्वीकृत करने पर विभाग द्वारा

स्वीकृत ऋण का 30 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान हैं। इस योजनान्तर्गत अब तक 14 व्यक्तियो को लाभान्वित कर 1.97 लाख का अनुदान दिया जा चुका हैं।

8. पालनहार योजनाः–

(अ) अनाथ पालनहार योजनाः– इस योजनान्तर्गत माता–पिता दोनों की मृत्यु होने पर पालने वाले को 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को 675 रु. प्रतिमाह व 1 से 5 वर्ष तक उम्र को 500 रु. प्रतिमाह दिए जाते हैं। प्रति बच्चों के 2000 रु. सालाना ऊनीवस्त्र, जुते, मोजे, कपडे के पृथक से दिए जाते हैं। अनाथ पालनहार योजनान्तर्गत 69 अनाथ पालनहारों को लाभान्वित किया जाकर 7.45 लाख का व्यय किया जा चुका हैं।

(ब) विधवा पालनहारः– इसमें पिता की मृत्यु पर विधवा जिसको पेंशन प्राप्त होती है, द्वितीय सन्तान के 15 वर्ष तक 675 रु. प्रतिमाह से 5 वर्ष से अधिक को एवं 1 से 5 वर्ष को 500 रु. प्रतिमाह की दर से सहायता प्रदान की जाती हैं। इस योजनान्तर्गत 259 विधवा पालनहार को लाभान्वित किया जाकर 11.47 लाख का व्यय किया जा चुका हैं।

9. सहयोग योजना(बी.पी.एल.) :– इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के सभी वर्गो की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 10000 रु. की सहायता राशि प्रदान की। और इस योजना में 10वीं(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर 5000 रु. अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती हैं। (कुल 15000 रु.) और इस योजना में स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर 10000 रु. की अतिरिक्त राशि का प्रोत्साहन दिया। (कुल राशि 20000 रु.) इस योजनान्तर्गत अब तक विभाग द्वारा 27 कन्याओ को लाभान्वित कर 2.35 लाख का व्यय किया जा चुका हैं।

10. अनुप्रति योजनाः– अनु.जाति/ जनजाति के प्रतिभावन अभ्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल से परीक्षा के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में उत्तीर्ण होने पर एक लाख रु. की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया हैं। इस योजनान्तर्गत एस.टी. अनुप्रति में 2 छात्रों को लाभान्वित कर 0.90 लाख का व्यय किया जा चुका हैं।

11. आस्था योजनाः– ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक निःशक्त है और उस परिवार की वार्षिक आय 12000 रु. से कम हैं को बी.पी.एल. के समान सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु आस्था कार्ड जारी कियेजाते हैं। अब तक इस योजना में 78 परिवारो को चिन्हीत किया जा चुका हैं।

12. भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत सेवा आश्रम में जिले के असहाय, गरीब कच्ची बस्तियों में रहने वाले वृद्धो के कल्याण हेतु योजना प्रारम्भ की गई हैं। बून्दी जिले में दो स्वयंसेवी संस्थाएँ कार्यरत है 1. आदर्श सरस्वती महीला प्रशिक्षण समिति बून्दी। 2. नारायण सेवा संस्थान बून्दी उक्त दानों संस्थाओ द्वारा 5 पुरुष 45 महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा हैं। इस योजना में अब तक 1.53 लाख का व्यय किया जाकर 50 महिला/पुरुषो को लाभान्वित किया जा रहा हैं।

13.(अ) <u>उत्तर मेट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृति योजनाः</u>— विभाग द्वारा उक्त योजना में अनुसूचित जाति के सरकारी/निजी मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्रों को फीस/छात्रवृति प्रदान की जाति हैं।

क्र.स.	विवरण	राशि प्रतिमाह रु. में
1.	प्रथम वर्ष	140
2.	द्वितीय वर्ष	190
3.	तृतीय वर्ष	190
4.	स्नातकोत्तर	330

इस योजना के अन्तर्गत 44.51 लाख का व्यय किया जाकर 158 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया हैं।

13.(ब) <u>उत्तर मेट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृति योजनाः</u>— विभाग द्वारा उक्त योजना में अनुसूचित जनजाति के सरकारी/निजी मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्रों को फीस/छात्रवृति प्रदान की जाति हैं।

क्र.स.	विवरण	राशि प्रतिमाह रु. में
1.	प्रथम वर्ष	140
2.	द्वितीय वर्ष	190
3.	तृतीय वर्ष	190
4.	स्नातकोत्तर	330

इस योजनान्तर्गत 64.75 लाख का व्यय किया जाकर 284 छात्र/छात्राओं का लाभान्वित किया जा चुका हैं।

13.(स) <u>अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजनाः</u>— विभाग द्वारा उक्त योजना में अन्य पिछडा वर्ग के सरकारी/निजी मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्र/छात्राओं को फीस/छात्रवृति प्रदान की जाति हैं।

क्र.स.	विवरण	राशि प्रतिमाह रु. में
1.	प्रथम वर्ष	90
2.	द्वितीय वर्ष	120
3.	तृतीय वर्ष	120
4.	स्नातकोत्तर	190

इस योजनान्तर्गत अब तक 1.50 लाख का बजट प्राप्त हुआ हैं।

13.(द) <u>अल्पसंख्यक छात्रवृतिः</u>— इस योजनान्तर्गत उत्तर मैटिक छात्रवृति के अन्तर्गत 3.70 लाख का व्यय किया जाकर 62 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका हैं। मेरिट कम मिन्स के अन्तर्गत 1 छात्र को लाभन्वित कर 0.25 लाख का व्यय किया जा चुका हैं

12. <u>20 सुत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में :–</u>